उत्तराखण्ड UTTARAKHAND L 560365

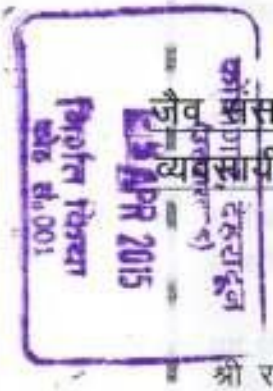

जैव संसाधनों तक पहुँच एवं लाभ सहभाजन (Access & Benefit Sharing) हेतु व्यवसायी एवं उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के मध्य वित्तीय वर्ष 2013–14

का

अनुबंध पत्र

श्री राजीव सिंह बिष्ट, (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मै0 हबीब्स कास्मेटिक्स प्रा0 लि0, खसरा नम्बर 1105 व 1106, लांघा रोड, औद्योगिक क्षेत्र, देहरादून, उत्तराखण्ड तथा मुख्यालय एम0–3, एन0डी0 साउथ एक्सटेन्शन, नई दिल्ली, जिन्हें अग्रेत्तर "आवेदक" संबोधित किया गया है, ... **प्रथम पक्ष**

तथा

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड, 108, फेज–2, वसंत विहार, देहरादून, उत्तराखण्ड, जिन्हें एतद् पश्चात् **"बोर्ड"** संबोधित किया गया है .....**द्वितीय पक्ष**

यह कि आवेदक एक प्राईवेट लिमिटेड संस्था है, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पाये जाने वाले विभिन्न जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग सौन्दर्य प्रसाधन (कोस्मेटिक्स) सम्बंधी विभिन्न सामग्री के उत्पादन विक्रय हेतु किया जाता है।

यह कि उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 के अन्तर्गत गठित एक वैधानिक स्वायतशासी निकाय है जिसे अधिनियम के अन्तर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबन्ध समितियों तथा समुदायों के हित में उपयोगकर्ताओं से जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्नगत् अनुबंध जैव विविधता

अधिनियम 2002 की धारा 7 सपठित धारा 24 के अनुपालन व अनुक्रम में जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन हेतु अधिनियम की धारा 18(1), 21, जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 14, 21 तथा अन्य संगत नियमों एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन्स में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

यह कि आवेदक द्वारा फार्म/प्रारूप–1 में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा वर्ष 2013–14 में 39 विभिन्न जैव संसाधनों का उपयोग सौन्दर्य प्रसाधन (कोस्मेटिक्स) की विभिन्न सामग्री के उत्पादन तथा विक्रय हेतु किया गया है।

यह कि आवेदक द्वारा फार्म/प्रारूप–1 में समस्त जैव संसाधन थोक विक्रेताओं के मार्फत क्रय किये जाने की सूचना दी गयी है। जैव संसाधनों के वास्तविक विदोहन क्षेत्र सम्बंधी सूचना प्राप्त न हो पाने के कारण सम्बंधित जैव विविधता समिति से संपर्क स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

यह कि आवेदक इस अनुबंध पत्र के साथ अनुलग्न **संलग्नक–1** में वर्णित विभिन्न जैव संसाधनों तथा उसके सापेक्ष उल्लिखित मात्रा के अनुरूप वाणिज्यिक उपयोग बोर्ड के नियंत्रण एवं निगरानी में प्राप्त करने हेतु इच्छुक है।

यह कि तदनुसार दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ के उचित व साम्यपूर्ण प्रभाजन हेतु अनुबंध करते है:–

1. यह कि उक्त अनुबंध वित्तीय वर्ष 2013–14 मात्र के लिये ही मान्य है।
2. यह कि आवेदक द्वारा चाहे गये जैव संसाधनों का विदोहन बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं नामित जैव संसाधनों तथा उसके सापेक्ष निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं किया जायेगा जैसा **संलग्नक–1** में उल्लेखित है।
3. यह कि आवेदक द्वारा जैव संसाधनों का अपरिपक्व दोहन नहीं किया जायेगा।
4. यह कि आवेदक जैव संसाधनों के मूल श्रोत को क्षति पहुँचाये बिना विनाशविहीन विदोहन तथा संग्रहण सुनिश्चित करेगा एवं इस हेतु संग्रहकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण भी देगा।
5. यह कि जैव संसाधनों के विदोहन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक द्वारा जैव संसाधनों के संग्रहण हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नाम, पता, हस्ताक्षर एवं फोटो परिचय–पत्र की सूचना बोर्ड एवं स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति को अनिवार्य रूप से देगा।
6. यह कि जैव संसाधनों के विदोहन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति को लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसकी प्रतिलिपि उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड की अनुमति प्राप्त करेगा।
7. यह कि उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा समय–समय पर कार्यों का अनुश्रवण व मूल्यांकन किया/कराया जा सकेगा।
8. यह कि उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले के लांघा रोड पर स्थित आवेदक की एक मात्र औद्योगिक इकाई में किये जा रहे जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से सम्बंधित लाभ के

प्रभाजन हेतु आवेदक द्वारा 2014 के गाईडलाइन्स के विनियम 4 में निर्धारित दर के **विकल्प से सहमत होने** के फलस्वरूप आवेदक तदनुसार धनराशि का भुगतान बोर्ड को करेगा, जिसका निर्धारण नियमानुसार **वार्षिक कारखाना पूर्व समग्र बिक्री में से सभी प्रकार के सरकारी करों को कम करके** आगणित किया जायेगा (Annual Gross Ex-Factory Sale minus Government Taxes)।

9. यह कि आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 में Annual Gross Ex-Factory Sale/Turnover Rs. 6,71,35,744/- (रू0 छः करोड़ इक्हत्तर लाख पैंतीस हजार सात सौ चवालिस मात्र) सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा विभिन्न राजकीय टैक्सों यथा इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट तथा सर्विस टैक्स के रूप में कुल रू0 25,37,565/– (पच्चीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ पैसठ मात्र) भुगतान की सूचना दी गयी है। इस प्रकार आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कुल रू0 6,45,98,179/– (रू0 छः करोड पेन्तालीस लाख अठ्ठानवे हजार एक सौ उन्नासी मात्र) की धनराशि के सापेक्ष लाभ का प्रभाजन नियमानुसार किया जाना है।

10. यह कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन्स में निहित प्राविधानों के क्रम में आवेदक द्वारा गाईडलाइन्स **के विनियम 3 तथा 4 में से** विनियम 4 को उनके मामले में लागू किये जाने का विकल्प चुना गया है। विनियम 4 में निहित प्राविधान के अनुसार रू0 3.00 करोड से अधिक की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि लाभ के प्रभाजन हेतु निर्धारित की गयी है। इस प्रकार आवेदक द्वारा कुल रू0 6,45,98,179/– (रू0 छः करोड पेन्तालीस लाख अठ्ठानवे हजार एक सौ उन्नासी मात्र) की धनराशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि लाभ के प्रभाजन के रूप में बोर्ड को देय है जो रू0 3,22,991/– (रू0 तीन लाख बायीस हजार नौ सौ इक्कानवे मात्र) होती है। अतः आवेदक कुल रू0 3,22,991/– (रू0 तीन लाख बायीस हजार नौ सौ इक्कानवे मात्र) की धनराशि
का भुगतान बोर्ड को करेगा।

11. यह कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2013–14 व्यतीत हो चुका है अतः आवेदक द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का एकमुश्त भुगतान बोर्ड को इस अनुबंध पत्र के हस्ताक्षर के 15 दिनों के अन्दर किया जायेगा।

12. यह कि जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से सम्बंधित कारोबार में आवेदक को हानि होने की दशा में बोर्ड का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त परिस्थिति में भी आवेदक द्वारा धनराशि का भुगतान नियमानुसार बोर्ड को किया जायेगा।

13. यह कि बोर्ड को अधिप्राप्त कोई शिकायत अथवा स्वप्रेरणा से पहुँच/अभिगम्यता हेतु अनुदत्त अनुमोदन को बोर्ड निम्नलिखित आधार पर प्रतिसंहारित/निरस्त कर सकेगा–

(क) युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि आवेदक द्वारा अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या शर्त, जिसके आधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया है।

(ख) आवेदक करार/अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

(ग) आवेदक जैव संसाधनों तक अनुदत्त पहुँच/अभिगम्यता की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

(घ) पर्यावरण/जैव विविधता संरक्षण तथा लोकहित/जनहित सम्बंधी अध्यारोही प्रभाव (Overriding Public Interest) के विषय सम्बंधी परिस्थितियों में।

14. यह कि आवेदक को दी गयी पूर्व स्वीकृति निम्नवत् आधार पर भी बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है–

(क) यदि स्वीकृति पश्चात् यह बाद में ज्ञात हो कि कोई विशिष्ट जैव संसाधन स्थानिक/दुर्लभ, संकटग्रस्त/संकटापन्न (Endemic/Rare/Endangered/Threatened) श्रेणी में वर्गीकृत/पुर्नवर्गीकृत है/किया गया है।

(ख) यदि स्वीकृति पश्चात् यह बाद में ज्ञात हो कि कोई कतिपय जैव संसाधन किसी अन्य अधिनियम/नियम में प्रतिबन्धित है।

(ग) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से स्थानीय नागरिकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(घ) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव की सम्भावना हो तथा जिसका बाद में नियंत्रण कठिन हो।

(ड़) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से आनुवंशिक क्षरण अथवा पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव सम्भावित हो।

(च) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्र द्वारा किये गये अर्न्तराष्ट्रीय करार के प्राविधानों के प्रतिकूल हो।

(छ) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से कतिपय जैव संसाधन का पोषणीय उपयोग कुप्रभावित हो रहा हो।

15. यह कि आवेदक द्वारा जैवविविधता, अधिनियम, 2002, जैव विविधता नियम, 2004 एवं जैव विविधता गाईडलाइन्स 2014 में निहित किसी प्राविधान का उल्लंघन करने पर बोर्ड द्वारा आवेदक को दी गयी पूर्व अनुमति को निरस्त किया जा सकेगा।

16. यह कि आवेदक जैव संसाधनों की अधिप्राप्ति किसी भी श्रोत से नियमानुसार प्राप्त करने सम्बंधी कृत कार्यो/क्रियाकलापों हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस सम्बंध में बोर्ड का कोई दायित्व नहीं होगा।

17. यह कि अनुबंध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की सहमति से किया जा सकेगा।

18. यह कि उक्त अनुबंध जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त लाभ के प्रभाजन मात्र के विषय से सम्बंधित है तथा इसका उपयोग किसी अन्य विषय सम्बंधी कार्य हेतु मान्य नहीं होगा।

19. यह कि बोर्ड की सहमति के पश्चात् उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में प्रकरण बोर्ड के अध्यक्ष को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20. यह कि जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त लाभ के प्रभाजन हेतु किया गया यह अनुबंध जैव संसाधनों तक पहुँच हेतु अनुमोदन समझा जायेगा।

उपरोक्त सहमति के आधार पर आज दिनांक 15.04.2015 स्वप्रेरणा से अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किया गया।

प्रथम पक्ष के ओर से:-

हस्ताक्षर :- Rajiv Bist

नाम :- Rajiv Singh Bist

पूर्ण पता :- 1, A, Prakash Vihar, Dehra Dun

टैलीफोन नं0 :- 9411721216

गवाह VBadoni

हस्ताक्षर:-

नाम :- VIMAL BADONI

पूर्ण पता :- LANE No 11 BADRISH COLONY DEHRADUN

टैलीफोन नं0 :- 9411361385

द्वितीय पक्ष के ओर से:-

हस्ताक्षर :-

नाम :- जी.एस.जोशे

Member-Secretary
Uttarakhand Biodiversity Board
Dehradun

पूर्ण पता:-

टैलीफोन नं0 :-

गवाह

हस्ताक्षर:- D. Prasad

नाम :-

(धनंजय प्रसाद)
अनुसंधान अधिकारी
(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
देहरादून

पूर्ण पता:-

टैलीफोन नं0 :-